



## हरियाणा विधान सभा

पंद्रहवी विधान सभा

अक्टूबर-नवम्बर सत्र 2024

कार्य सूची

13 नवम्बर 2024

### 1. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति रखना।

- (1) अध्यक्ष महोदय सदन को प्रतिवेदित करेंगे कि राज्यपाल महोदय ने आज 13 नवम्बर, 2024 को 11.00 बजे प्रातः हरियाणा विधान सभा के सम्मुख अभिभाषण देने की कृपा की है तथा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन के पटल पर रखेंगे।

### 2. शोक प्रस्ताव।

- (1) एक मंत्री स्वर्गीय:-1. श्री जसवंत सिंह, भूतपूर्व मंत्री, हरियाणा;2. श्री भागी राम, भूतपूर्व राज्य मंत्री;3. श्री हरी सिंह सैनी, भूतपूर्व राज्य मंत्री;4. श्री रणधीर सिंह, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य;5. श्री नरेश यादव, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य; 6. श्री सुभाष चौधरी, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य;7. श्री राकेश दौलताबाद, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य;8. पदम विभूषण श्री रतन नवल टाटा;9. श्री हरी सिंह, स्वतंत्रता सेनानी; 10. हरियाणा के शहीद;11. स्कूल वैन दुर्घटना; तथा 12. अन्य के देहावसान का उल्लेख करेंगे।

### 3. भारत के निर्वाचन आयोग की अधिसूचना की एक प्रति रखना।

- (1) अध्यक्ष महोदय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 के अधीन जारी की गई भारत के निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 308/ एच ए आर-एल ए/2024, दिनांक 9 अक्टूबर, 2024 की प्रति नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज़ पर रखेंगे।

### 4. कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट।

(1)

(I)	अध्यक्ष	विभिन्न कार्य के संबंधमें कार्य सलाहकार समिति द्वारा निश्चित की गई समय सारणी प्रतिवेदित करेंगे।
(II)	समिति के एक सदस्य	प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

## 5. नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

(1)

एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध जहां तक कि वे:-  1. लोक लेखासमिति ; 2. प्राक्कलन समिति; 3. लोक उपक्रमों संबंधी समिति ; तथा 4. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2024-2025 की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए।
यह भी प्रस्ताव करेंगे:-	“कि यह सदन, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों/ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2024-2025 की शेष अवधि के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करें”।

6.

## नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज-पत्र।

(1)

एक मंत्री	हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अध्यादेश, 2024 (2024 का हरियाणा अध्यादेश सं. 1) मेज पर रखेंगे।
-----------	--

(2)

एक मंत्री	हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (2024 का हरियाणा अध्यादेश सं. 2) मेज पर रखेंगे।
-----------	--

(3)

एक मंत्री	हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (2024 का हरियाणा अध्यादेश सं. 3) मेज पर रखेंगे।
-----------	--

(4)

एक मंत्री	हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (2024 का हरियाणा अध्यादेश सं. 4) मेज पर रखेंगे।
-----------	---

(5)

एक मंत्री	हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2024 (2024 का हरियाणा अध्यादेश सं. 5) मेज पर रखेंगे।
-----------	---

(6)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (2024 का हरियाणा अध्यादेश सं. 6) मेज पर रखेंगे।
-----------	--

(7)

एक मंत्री	हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधक) संशोधन अध्यादेश, 2024 (2024 का हरियाणा अध्यादेश सं. 7) मेज पर रखेंगे।
-----------	--

(8)

एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 06/जी.एस.टी-2, दिनांकित 1 मार्च, 2023 मेज पर पुनः रखेंगे।
-----------	--

















- (86) 

एक मंत्री	राज्य वित्तिय निगम अधिनियम, 1951 की धाराएं, 37 (7) तथा 38 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2022-2023 के लिए हरियाणा वित्तिय निगम की 56 वीं वार्षिक रिपोर्ट, पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित मेज पर रखेंगे।
-----------	---
- (87) 

एक मंत्री	मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1993 की धारा 28 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2022-2023 के लिए हरियाणा मानव अधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
-----------	---
- (88) 

एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2022-2023 के लिए हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
-----------	--
- (89) 

वित्त मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार की वर्ष 2024 की रिपोर्ट संख्या 1 के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राज्य वित्त लेखा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
--------------	---
- (90) 

वित्त मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार की वर्ष 2024 की रिपोर्ट संख्या 2 के सम्बन्ध में जन स्वास्थ्य अवसरंचना तथा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
--------------	---

## 7. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा

- (1) 

(i)	श्री मूल चंद शर्मा, एम.एल.ए.	प्रस्ताव करेंगे कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए :- “कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 13 नवम्बर, 2024 को 11.00 बजे प्रातः सदन में देने की कृपा की है।”
(ii)	श्री प्रमोद कुमार विज, एम.एल.ए.	उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

## 8. विधायी कार्य ।

### (1) (पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक)

- (i) 

हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024	एक मंत्री	हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक को पुरः स्थापित करेंगे।
---	-----------	---
- (ii) 

हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024	एक मंत्री	हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक को पुरः स्थापित करेंगे।
---	-----------	---

(iii)	हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024	एक मंत्री	हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक को पुरः स्थापित करेंगे।
(iv)	हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2024	एक मंत्री	हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक को पुरः स्थापित करेंगे।
(v)	हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2024	एक मंत्री	हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक को पुरः स्थापित करेंगे।
(vi)	हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन विधेयक, 2024	एक मंत्री	हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन विधेयक को पुरः स्थापित करेंगे।
(vii)	हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024	एक मंत्री	हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक को पुरः स्थापित करेंगे।

Chandigarh-160001  
दिनांक: १३ नवम्बर २०२४

डा. सतीश कुमार  
सचिव  
हरियाणा विधान सभा